न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 141 / 2003 / गंगानगर

1– गोविन्दसिंह पुत्र गांधीसिंह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान–
1/1– गुरजन्टसिंह (नाम तर्क)
1/2– रेशमसिंह
1/3– डिप्टीसिंह (नाम तर्क)
पुत्रगण गोविन्दसिंह
1/4– रानीकौर पुत्री गोविन्दसिंह
1/5– सुखवीरकौर पुत्री गोविन्दसिंह
समस्त जाति जाट सिख निवासी चक 44 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्स

बनाम

1– साईंदास पुत्र जीवनदास (मृतक) जरिये विधिक वारिसान–
1/1– अर्जुनदेव
1/2– दयाराम
1/3– स्वर्णसिंह
पुत्रगण साईंदास
1/4– छिन्द्रपाल कौर पुत्री साईंदास
1/5– मनजीत कौर पुत्री साईंदास
समस्त जाति अरोड़ा निवासी 38 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
1. श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक 3–12–2024

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 66 / 97 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2–1–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट / वादी द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करनपुर के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत् अपीलांट / प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट / वादी को चक 44 एल.एन.पी. का मुरब्बा नंबर 36 के 24 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 25—9—67 को हुआ, जिसका कब्जा रेस्पोडेण्ट को दिनांक 25—3—68 को मिल गया था। उक्त रकबा को तहसीलदार ने दिनांक 15—5—68 को रिसीवर कर लिया। गोविन्दसिंह द्वारा एक अपील जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय जिलाधीश द्वारा दिनांक 13—11—1968 को रेस्पोडेण्ट / वादी के पक्ष में कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा पुनः अपील प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय दिनांक 25—3—1970 को रेस्पोडेण्ट / वादी के विरूद्ध कर दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 25—3—1970 के विरूद्ध प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहा एवं दिनांक 26—11—1973 को प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः जिलाधीश, गंगानगर को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। जिलाधीश, गंगानगर द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रेषित प्रकरण का निर्णय दिनांक 17—5—1977 को रेस्पोडेंट / वादी के पक्ष में कर दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 17—5—1977 के विरूद्ध अपीलांट / प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका दायर की गई, जो दिनांक 1—7—1985 को वादी के पक्ष में निर्णित की गई। वादी द्वारा उक्त वाद—पत्र प्रस्तुत कर चक 44 एल.एन.पी. के मुरब्बा नंबर 36 के रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलाण्ट / प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा वाद—पत्र में उठाए गए समस्त तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि चक 44 एलएनपी का मु0 नंबर 36 की 24 बीघा 10 बिस्वा का पुख्ता आवंटन दिनांक 25—6—67 का सही है, लेकिन कब्जा मिलना गलत है एवं तहसीलदार पदमपुर द्वारा अप्रार्थी से उक्त रकबा का कब्जा नहीं लिया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य इसी कॉज आफ एक्शन को लेकर अपील माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। इसलिए यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 183 पोषणीय नहीं है तथा खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट / वादी इस पर कभी काबिज नहीं रहा है। अतः प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 183 खारिज किया जावे।

प्रार्थना—पत्र के लम्बित रहते एक प्रार्थना—पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का अपीलाण्ट / प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कर जबावदावा में संशोधन चाहा गया। उक्त

प्रार्थना–पत्र का रेस्पोडेंट / वादी द्वारा जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार करते हुए खारिज करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा निर्णय दिनांक 20–1–88 से आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पोषणीय नहीं होने से खारिज कर दिया।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

श्रीकरणपुर द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– आया वादी को मुरब्बा नंबर 36 के रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा का कब्जा दिनांक 25–3–1968 को प्राप्त हुआ –वादी

2– आया वादग्रस्त भूमि के बारे में जिलाधीश महोदय, गंगानगर ने 5–5–1976 को वादी के पक्ष में फैसला दिया। – वादी

3– आया पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त भूमि के बाबत् उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका लम्बित होने से वर्तमान वाद चलाया नहीं जा सकता।

–प्रतिवादी

4– आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर गत 30 वर्षों से निरंतर काबिज है और कब्जा मुखालन के आधार पर प्रतिवादी खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है।

– प्रतिवादी

5– आया वादग्रस्त भूमि राजस्थान सरकार द्वारा 27–4–1971 को प्रतिवादी को अलॉट हो चुकी थी, जिसकी किश्तें प्रतिवादी अदा कर चुका है और प्रतिवादी को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं। –प्रतिवादी

6– आया वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए धारा 7 कोलोनाईजेशन एक्ट वादी का अलाटमेंट खारिज हो चुका है और वादी को वादग्रस्त भूमि के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। –प्रतिवादी

7– आया वाद में राजस्थान सरकार फरीक जरूरी है, जिसको पक्षकार न रखने से दावा पर क्या असर है। –प्रतिवादी

8– आया वाद से वादी द्वारा किया गया सत्यापन कानून गलत है, इसका दावा पर क्या असर है। – प्रतिवादी

9– दादरसी

इसी दौरान रेस्पोडेण्ट / वादी द्वारा कुछ दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया, जिसे उन्होने दिनांक 18–4–92 से स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा एक निगरानी संख्या 113 / 92 राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो मण्डल के निर्णय दिनांक

16–8–93 द्वारा स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 18–4–92 को निरस्त कर दिया।

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–10–1997 द्वारा रेस्पोडेंट / वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलांट / प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी घोषित किये जाने का आदेश पारित किया एवं तहसीलदार को प्रतिवादी से वादग्रस्त आराजी चक 44 एलएनपी तहसील पदमपुर के मु0 नं0 36 के 24 बीघा 10 बीघा आराजी का नियमानुसार कब्जा लेकर वादी को सौंपने के आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–1997 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2–1–2003 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–1–2003 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट / प्रतिवादी को यह भूमि दिनांक 27–4–1971 को आवंटित हुई थी, तब से वह काबिज चला आ रहा है । इसलिए वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार हो गया है । उन्होंने अपने अपील मीमों में यह भी अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार साईंदास 3 वर्ष तक काबिज नहीं रहने से उसके खातेदारी अधिकारों का अवसायन हो चुका है । इस प्रकार अपीलाण्ट ने अपील को स्वीकार किये जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2–1–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–1997 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई ।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि वादी का वाद अन्दर मियाद नहीं होने के तथ्य अंकित नहीं किए जैसा कि आदेश 7 नियम 1 सी के अनुसार दर्ज करने आवश्यक है और यदि वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख से वाद अन्दर मियाद नहीं है तो आदेश 7 नियम 6 सीपीसी के अनुसार विवाद को रोकने के तथ्य दर्ज करने आवश्यक है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस प्रकार कोई

फाईन्डिंग्स नहीं दी। रेस्पोडेण्ट / वादी ने अपने वाद–पत्र में अंकित किया है कि अपीलाण्ट / प्रतिवादी ने इस भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है, जो दिलवाया जावे। परन्तु रेस्पोडेण्ट / वादी ने यह अंकित नहीं किया कि कब्जा प्रतिवादी ने भूमि पर कब किया है और सन् 1970 से आज तक वादी साईंदास के कब्जे बाबत् कोई प्रमाण–पत्र नहीं है। इसके अलावा वादी का कब्जा दिनांक 25–3–1968 को मिला हो तो भी वादी एवं वादी के गवाहान की शपथ साक्ष्य में यही स्वीकृति है कि वादी का कब्जा केवल एक वर्ष तक रहा था, इसके बाद में नहीं रहा है। इससे स्पष्ट है कि उसके बाद से ही रेस्पोडेण्ट / वादी स्वयं अपीलाण्ट / प्रतिवादी का कब्जा स्वीकार करता है। उनका यह भी कथन है कि वादी साईंदास का न तो कहीं रिकार्ड में ही नाम है और न ही उसका विवादित आराजी पर कब्जा है। जबकि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में स्पष्ट प्रावधान है कि एक रिकार्डेड खातेदार ही धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् दावा ला सकता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि अपीलाण्ट को जिलाधीश द्वारा आदेश दिनांक 27–4–71 द्वारा पुख्ता आवंटन की गई इस दिन यह भूमि आराजी राज थी एवं अपीलाण्ट द्वारा किश्ते भी जमा कराई जा चुकी है। निरंतर आवंटन के आधार पर अपीलाण्ट काबिज होने से वह भूमि का खातेदार हो जाता है एवं रेस्पोडेण्ट / वादी का दावा मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने आपको इस भूमि का टिनेन्ट बताकर अपीलांट को अतिक्रमी बनाकर दावा प्रस्तुत किया है। जबकि रेस्पोडेण्ट विवादित भूमि पर 1969 से कब्जे के बाहर है। भूमि पर कब्जा अपीलाण्ट का है । रेस्पोडेण्ट / वादी 12 वर्ष के अन्दर भूमि का कब्जा प्राप्त करने नहीं आया है और न ही कब्जा प्राप्त कर सका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(5) के अनुसार यदि समयावधि में टिनेन्ट भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता तो टिनेन्सी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। रेस्पोडेण्ट / वादी का आवंटन सही होने से उसका 12 वर्षो से ज्यादा समय तक नहीं रहने से उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गए और वह इस आधार पर दावा लाने का अधिकारी नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–1–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–1997 निरस्त किया जावे।

5— रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट / वादी को वादग्रस्त भूमि दिनांक 25—9—67 को विधिवत् तरीके से आवंटित हुई थी। जिसकी किश्तें भी उसके द्वारा भरी जा चुकी हैं। रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 1—7—85 से बहाल रखा गया है तथा इस आवंटन के बाद अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है। इस आधार पर अपीलाण्ट इस भूमि को पाने का हकदार नहीं है। दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर माननीय उच्च न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट / वादी का आवंटन सही माना है एवं इसी आधार पर उसके द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद 1986 में प्रस्तुत किया। धारा 183 के दावे के लिए मियाद 12 वर्ष होती है। इसलिए विचारण न्यायालय ने मियाद अधिनियम के तहत वाद को अन्दर मियाद मानते हुए अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया, जिसमें उसके द्वारा जबाव में कही भी मियाद का बिन्दु नहीं उठाया गया। इसलिए न्यायालय द्वारा दस्तावेजों के अवलोकन बाद वाद को अन्दर मियाद माना है। विचारण न्यायालय द्वारा दावे व जबावदावे के आधार पर 9 तनकियात बनाई, जिसमें विधिवत् सुनवाई के पश्चात् विस्तृत रूप से निर्णय पारित किया। रेस्पोडेण्ट को किए गए आवंटन को माननीय उच्च न्यायालय तक बहाल रखा गया है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय भी समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय हैं, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7— हस्तगत प्रकरण में राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्री करनपुर के समक्ष दिनांक 2—6—86 को एक प्रार्थना—पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत रेस्पोडेण्ट / वादी को दिनांक 25—9—67 को किए गए चक 44 एलएनपी का मु0नं. 36 के 24 बीघा 10 बीधा के आवंटनशुदा भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा किए नाजायज कब्जे से बेदखली बाबत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28—10—97 द्वारा तनकीवार निर्णय पारित कर यह स्पष्ट अंकित किया कि रेस्पोडेण्ट / वादी को प्रश्नगत आराजी दिनांक 25—9—67 को आवंटित हुई थी। इसके पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 26—4—71 को अपीलाण्ट / प्रतिवादी को कर दिया। वादी द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक

25–3–70 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 26–11–1973 द्वारा प्रकरण जिला कलेक्टर को पुनः सुनवाई हेतु वापस भेज दिया। जिला कलेक्टर ने प्रार्थना–पत्र को दिनांक 5–5–76 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर मण्डल ने दिनांक 17–5–77 को खारिज कर दी गई। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 17–5–77 के विरूद्व अपीलाण्ट / प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व मण्डल के आदेश को बहाल रखा गया। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट / वादी को किया गया आवंटन दिनांक 25–9–67 वैध था। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट व अपीलाण्ट के मध्य उक्त आवंटन को लेकर प्रकरण काफी वर्षो के विचाराधीन रहने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 1–7–85 द्वारा अपीलाण्ट / प्रतिवादी के आवंटन के बारे में यह स्पष्ट निर्णय पारित किया कि–

"The argument of the learned counsel for the petitioner that the order dated 26-4-1971 granting allotment in favour of the petitioner still subsists and has not been set aside, it is of no avail in view of the Revenuce Board's decision dt- 26-11-1973 and 17-5-77. "

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेण्ट / वादी को विवादित आराजी का कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किए । हस्तगत प्रकरण में जहां तक अपीलाण्ट का यह कथन कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि दावा अन्दर मियाद है या नहीं। इस संबध में सर्वप्रथम तो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के इस बिन्दु को निर्णित करते हुए अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के क्र0 सं0 23 के अनुसार बेदखली के वाद को पेश करने की अवधि 12 वर्ष है । इसलिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस अवधि के बारे में दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत है।

पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2024 में साईदास वल्द जीवनदास पुख्ता अलाटी सालम मुरबा का नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात् अपीलाण्ट / प्रतिवादी को अतिक्रमी घोषित किया है। अपीलाण्ट किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी दस्तोवजी साक्ष्य से आवंटन सिद्ध नहीं करा पाया है। जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट को किए गए आवंटन को राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय तक बहाल रखा गया है। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय ने भी यह माना कि अपीलाण्ट विवादित भूमि पर अतिक्रमी प्रतीत होता है एवं माननीय उच्च

न्यायालय के आदेश दिनांक 1–7–85 के अनुसार अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कब्जा माना जायेगा। इसलिए अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखल किये जाने योग्य पाये जाने से विचारण न्यायालय ने विधिवत रूप से बेदखली का आदेश व डिक्री पारित की है। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलाण्ट द्वारा उठाये गए सभी बिन्दुओं का निस्तारण कर विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किए हैं। ऐसे समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः यह अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र, यदि लम्बित हों तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(**डॉ. श्रवणकुमार बुनकर**)
सदस्य

(**हेमन्त कुमार गेरा**)
अध्यक्ष